



Sevottam Compliant



An IS 15700 certified Custom House

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड

CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

सीमाशुल्क आयुक्त का कार्यालय

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS

सीमाशुल्क गृह, विल्लिंगटन आईलैंड, कोच्चिन

CUSTOM HOUSE, WILLINGDON ISLAND, COCHIN-682009

Website: www.cochincustoms.gov.in
E-mail: commr@cochincustoms.gov.in

Control Room: 0484-2666422
Fax: 0484-2668468
Ph: 0484-2666861-64/774/776

परिपत्र सं.CIRCULAR.No11/2019

विषय: स्थायी व्यापार सुविधा समिति की दिनांक 27.11.2019 को हुई बैठक का कार्यवृत्त-संबंधित।

Sub: Permanent Trade Facilitation Committee- Minutes of the meeting held on 27.11.2019 - Reg.

स्थायी व्यापार सुविधा समिति की बैठक दिनांक 27.11.2019 को पूर्वाह्न 11.00 बजे सीमाशुल्क गृह, कोचीन के सभागार में श्री मोहम्मद यूसुफ, भा.रा.से., आयुक्त की अध्यक्षता में हुई।

Meeting of the Permanent Trade Facilitation Committee was held at 11.00 "a.m." on 27.11.2019 in the Conference Hall of Custom House, Cochin. Shri. Mohd Yousaf, IRS, Commissioner, chaired the meeting.

निम्नलिखित सीमाशुल्क अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। श्री/श्रीमती/सुश्री

The following officers of Customs were present. S/Shri/Smt

1. मोहम्मद यूसुफ, भा. रा. से., आयुक्त Mohd Yousaf, IRS, Commissioner
2. डॉ. जे. हरीश, भा. रा. से., संयुक्त आयुक्त Dr. J. Harish, IRS, Joint Commissioner
3. एम. वसन्तागेशन, भा. रा. से., संयुक्त आयुक्त M. Vasanthagesan, IRS, Joint Commissioner
4. डॉ. राजी, भा. रा. से., उपआयुक्त Dr.Raji N S, IRS, Deputy Commissioner
5. साबू सबैस्टियन, भा. रा. से., सहायक आयुक्त Sabu Sebastain, IRS, Assistant Commissioner
6. फिलिप सबैस्टियन, भा. रा. से., सहायक आयुक्त Phillip Sebastain, IRS, Assistant Commissioner
7. जोसेफ सबैस्टियन, भा. रा. से., सहायक आयुक्त Joseph Sebastain, IRS, Assistant Commissioner
8. भुवनचंद्रन पी., वैज्ञानिक 'ई', एन आई सी Bhuvanachandran P, Scientist E', NIC
9. बैजू डेनियल, मूल्यनिरूपक अधिकारी Baiju Daniel, Appraising Officer
10. प्रशांत के. सी. एस., सीमाशुल्क अधीक्षक Prasanth K.C.S, Superintendent of Customs, Authorized Officer, CSEZ.

व्यापार तथा व्यापार संबंधी अन्य सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि सुश्री/ श्री

The Trade and other Govt. Organizations related to trade were represented by S/Shri:

1. जे. एस. मंजुनाथ, कोचीन पोर्ट ट्रस्ट J.S Manjunath, Cochin Port Trust
2. प्रशांत के. सी. एस., कोचीन स्पेशियल इकॉनॉमिक ज़ोन Prasanth K C S, Cochin Special Economic Zone
3. डॉ. अभिजीत भारत सातपुटे. निर्यात निरीक्षण एजेंसी Dr. Abhijeet Bharat Satpute, Export Inspection Agency

4. एस. एस. सिंधु, पादप संगरोध S.S. Sidhu, Plant Quarantine
5. डॉ. जेस्टो जॉर्ज, एफ एस एस ए आई Dr. Jesto George, FSSAI
6. पॉल जे. कोचार्ड, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा Paul J. Kochard, Cochin International Airport
7. बिजू आर., सी एफ एस पेट्टाह Biju R. , CFS Pettah
8. हरी वी. एस., कोंकोर इंडिया लिमिटेड Hari V.S. , Concor India Ltd.
9. बी. एन. झा, स्पाइसेस बोर्ड B. N Jha, Spices Board
10. वी. वीरा राघव, सी एफ एस जी डी के एल V. Veera Raghav, CFS GDKL
11. जोसमोन एम. डी. सी एफ एस, सी आई सी एफ एस (के एस आई ई की एक इकाई) Josemon. M.D, CFS, CICFS(A unit of KSIE Ltd)
12. एबे जोसेफ फिलिप, सी एफ एस, एम आई वी Abe Joseph Philip, CFS, MIV
13. एलन जोस, कोचीन सीमाशुल्क ब्रोकर असोसिएशन Alan Jose, Cochin Customs Broker's Association
14. ए. ए. फर्नांडीस, कोचीन सीमाशुल्क ब्रोकर असोसिएशन A.A. Fernandez, Cochin Customs Broker's Association
15. अलेक्स के निनान, सी फूड एक्सपोर्ट असोसिएशन ऑफ इंडिया Alex K. Ninan, Sea Food Exporters Association of India
16. एस. रामकृष्णन, सी फूड एक्सपोर्ट असोसिएशन ऑफ इंडिया S. Ramakishan, Sea Food Exporters Association of India
17. पी. एस. सेहराज, कोंसिलिडेटर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया P.S. Seheraj, Consolidators Association of India
18. के. मोहन कुमार, कोंसिलिडेटर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया K. Mohan Kumar, Consolidators Association of India
19. अब्राहम फिलिप, इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इन्डस्ट्री Abraham Philip, Indian Chamber of Commerce & Industry
20. कुरुविला जेवियर. आई जी टी पी एल Kuruvilla Xavier, IGTPL
21. वेणु बी., टेक्सटाईल समिति, कोचीन Venu. B, Textile Committee, Cochin
22. एम. कृष्णकुमार, कोचीन स्टीमर असोसिएशन M. krishnakumar, Cochin Steamer Agents Association
23. भरत अशर, कोचीन स्टीमर एजेंट्स असोसिएशन Bharath Ashar, Cochin Steamer Agents Association

अध्यक्ष ने बैठक के सदस्यों का स्वागत किया। तत्पश्चात पिछली बैठक के कार्यवृत्त तथा उसके बिंदुओं पर की गई कार्रवाई से सभा को अवगत कराया गया। उसके बाद बैठक में नए मुद्दे उठाए गए। The Chair welcomed the members to the meeting. Thereafter the minutes of the previous meeting and the action taken in respect of points thereon was taken was informed to the gathering. Thereafter fresh points were taken up for this meeting.

चर्चा हेतु नए मुद्दे FRESH POINTS FOR DISCUSSION.

कोचीन सीमाशुल्क ब्रोकर संघ के द्वारा उठाए गए मुद्दे

1. Fresh Points raised by The Cochin Customs Broker's Association:

मुद्दा Point i. ई-संचित तथा डी एम एस कूपन E-SANCHIT AND DMS COUPON

कोचीन सीमाशुल्क गृह कुछ लागत पर डी एम एस कूपन जारी कर रहा है और इनका उपयोग बिल ऑफ एंट्री के लिए किया जा रहा है, तथापि आवश्यक दस्तावेज ई-संचित पर अपलोड किए गए हैं। चूंकि बिल ऑफ एंट्री की मंजूरी से संबंधित सभी दस्तावेज ई-संचित पर अपलोड किए गए हैं, इसलिए डी एम एस में बी ई के दस्तावेजों की स्कैनिंग उसी काम की पुनरावृत्ति होगी। सार्व.सू. 7/2018 दिनांक 24.05.2019 के संदर्भ में जे एन सी एच ने पहले ही अपने को आयात दस्तावेजों के लिए डी एम एस कूपन जारी करना बंद कर दिया है।

The Cochin Custom House is issuing DMS coupons at a cost and these are being used for Bills of Entry even though the required documents are uploaded on e-sanchit. As all the documents pertaining to clearance of the Bills of Entry are uploaded on e-Sanchit, scanning of documents of BE at DMS will be repetition of the same work. The JNCH has already discontinued the issuance of DMS Coupon for import documents vide their PN No.87/2018 dated 24.05.2019.

सुझाव: हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया कोचीन में डी एम एस कूपन की आवश्यकताओं को समाप्त करने के लिए इसी तरह की सार्वजनिक सूचना जारी करें, जिससे सीमाशुल्क को सभी दस्तावेज सत्यापन के लिए ऑनलाइन उपलब्ध होंगे।

Suggestion: We request you to please issue similar PN to discontinue the requirements of DMS Coupon in Cochin also as the Customs will get all the documents online for verification.

चर्चा का कार्यवृत्त अधोलिखित है Minutes of discussion are as below

श्री एलन जोस, सी सी बी ए ने अध्यक्ष की अनुमति से प्रस्तुत किया कि डी एम एस कूपन जारी करने के अभ्यास की समाप्ति पहले ही मुंबई सीमाशुल्क गृह द्वारा की जा चुकी है और उसे मुंबई सीमाशुल्क गृह द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के संदर्भ में में दिया गया था। उन्होंने दोहराया कि डी एम एस में बीई के दस्तावेजों की स्कैनिंग उसी काम का दोहराव है क्योंकि ई-संचित में यह पहले से ही अपलोड हो रहा है। उन्होंने अनुरोध किया कि डी एम एस में बीई के दस्तावेजों की स्कैनिंग की रोक से व्यापार के समय और धन की बचत होगी।

Shri Alan Jose, CCBA with the permission of Chair, submitted that the practice of issuing DMS coupons are already done away with in Mumbai Custom House and reference was made by him in terms of PN notice issued by Mumbai Custom House. He reiterated that the scanning of documents of BE at DMS is duplication of the same work as the same is already getting uploaded in e-Sanchit. He requested that the doing away with the scanning of documents of BE at DMS would save the time and money from trade side.

डॉ. जे. हरीश, संयुक्त आयुक्त ने सदस्यों को सूचित किया कि डी एम एस कूपन पूरी तरह से बंद नहीं किया जा सकता और यह देखना आवश्यक है कि डी एम एस और ई-संचित कैसे काम कर रहा है। जहां तक ई-संचित का सवाल है, दस्तावेजों की मूल / सत्यापित प्रति अपलोड नहीं की जा रही है। कंटेनर स्कैनर डिवीजन के आंकड़ों को डी एम एस में प्राप्त करने की आवश्यकता है।

Dr. J. Harish, Joint Commissioner, informed the members that the DMS coupons cannot be completely stopped and it is necessary to see how the DMS and e-sanchit is working. As far as e-sanchit is concern, original/verifiable copy of the documents are not getting uploaded. Container scanner division data is needed to be captured in DMS.

श्री भुवन चंद्रन, वैज्ञानिक एनआईसी, ने सदस्यों को यह भी बताया कि अधिकारी की सत्यापन मुहर और टिप्पणियाँ ई-संचित में उपलब्ध नहीं हैं, जो पोस्ट ऑडिट क्लीयरेंस के लिए आवश्यक है।

Shri Bhuvan Chandran, Scientist NIC, also informed the members that the verification seal and comments of the officer is not available in e-sanchit, which is necessary for post audit clearance.

अध्यक्ष ने हितधारकों को सूचित किया कि उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर इस बिंदु को फिलहाल के लिए छोड़ दिया गया है और उस पर तब विचार किया जाएगा जब मूल दस्तावेजों के लिए ई-संचित / लेखापरीक्षा में कार्यप्रणाली उपलब्ध होगी।

The Chair informed the stake holders that in light of the above discussion the point is dropped for the time being and the same will be considered when the mechanism for original documents would be available in e-sanchit/audit.

(कार्रवाई हेतु : मुद्दा निरस्त For Action: Point dropped)

मुद्दा ii. लाइसेंस धारी सीमाशुल्क ब्रोकरों के स्थान पर बिचौलियों को आयातकों/ निर्यातकों द्वारा उपयोग किये जाने पर लगाम लगाने के लिए सार्वजनिक सूचना जारी किया जाना

Point ii. PUBLIC NOTICE TO BE ISSUED TO CURB THE EXPORTER / IMPORTER FROM USING INTERMEDIARIES INSTEAD OF LICENCED CUSTOMS BROKERS

- धारा 146 सीमाशुल्क ब्रोकर के लिए लाइसेंस Section 146: License for Customs brokers
 - कोई भी व्यक्ति सीमाशुल्क ब्रोकर के रूप में तब तक व्यवसाय नहीं करेगा जब तक कि इस संबंध में विनियमों के अनुसार उस व्यक्ति के पास लाइसेंस उपलब्ध न हो।
No person shall carry on business as a Customs broker.....unless such person holds a license granted in this behalf in accordance with the regulations.
- सी बी एल आर 2018 के विनियम 3 Regulation 3 of CBLR 2018: Customs Broker to be licensed
- कोई भी व्यक्ति सीमाशुल्क ब्रोकर के रूप में तब तक व्यवसाय नहीं करेगा जब तक कि इस संबंध में विनियमों के अनुसार उस व्यक्ति के पास लाइसेंस उपलब्ध न हो।
No person shall carry on business as a Customs broker.....unless such person holds a license granted under these regulations
- सी बी एल आर 2018 के विनियम 10(ए) Regulation 10(a) of CBLR 2018:
 - एक सीमाशुल्क ब्रोकर को प्रत्येक कंपनी, फर्म या व्यक्तियों से एक प्राधिकरण प्राप्त करना होगा जिसके द्वारा वह कस्टम ब्रोकर के रूप में नियोजित किया जा रहा है और जब भी सीमाशुल्क उप आयुक्त या सीमाशुल्क सहायक आयुक्त द्वारा आवश्यक होने पर ऐसे प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा, यदि ऐसा कोई मामला हो तो
A Customs broker shall—obtain an authorization from each of the companies, firms or individuals by whom he is for the time being employed as Customs broker and produce such authorization whenever required by the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be
- सी बी एल आर 2018 का विनियम 10(एन) Regulation 10(n) of CBLR 2018:
- विश्वसनीय, स्वतंत्र, प्रामाणिक दस्तावेज, आंकड़ों या सूचना का उपयोग कर निर्यातक कोड (IEC) संख्या, वस्तु और सेवा कर पहचान संख्या (GSTIN), अपने ग्राहक की पहचान और उसके ग्राहक के कामकाज की शुद्धता, उसके द्वारा घोषित पते आदि की सत्यता की जाँच करें।
verify correctness of Importer Exporter Code(IEC) number, goods and Services Tax Identification Number(GSTIN), identity of his client and functioning of his client at the declared address by using reliable, independent, authentic documents, data or information
- सेवाओं का जी एस टी वर्गीकरण GST Classification of Services:
 - 996712 सीमाशुल्क गृह एजेंट सर्विसेज़ 996712 Customs House Agent Services

कुछ मामलों के वर्तमान परिदृश्य PRESENT SCENARIO IN SOME CASES

- कुछ बिचौलिए अपने विभिन्न प्रभावों और धन शक्ति का उपयोग करके सीमाशुल्क ब्रोकर को लाइसेंस प्राप्त न होते हुए भी आयातक / निर्यातक के पास जाते हैं और सीमाशुल्क निकासी का कार्य करते हैं। यह सी बी एल आर 2018 के सीमाशुल्क अधिनियम 1962 और विनियमन 10 (ए) की धारा 146 का उल्लंघन है

Some intermediaries approach the importer/exporter and undertake to do their Customs Clearance also even though they are not licensed Customs Broker using their various influences and money power. This is a violation of Section 146 of the Customs Act 1962 and Regulation 10(a) of the CBLR 2018

- कुछ फारवर्डर आयातक / निर्यातक को सेवाओं का प्रलोभन भेंट करने और सीमाशुल्क निकासी की पेशकश करते हैं, भले ही उनके पास सीबी लाइसेंस न हो। यह सीमाशुल्क अधिनियम 1962 की धारा 146 और सीबीएलआर 2018 के विनियमन 10 (ए) का उल्लंघन है

Some forwarders approach the importer/exporter offering a bouquet of services and offer them the customs clearance also even though they do not have CB license. This is violation of Section 146 of the Customs Act 1962 and Regulation 10(a) of the CBLR 2018

- उक्त बिचौलियों / फारवर्डर्स ने अपने ग्राहकों के सीमाशुल्क दस्तावेजों को दर्ज करने के लिए कुछ सीमाशुल्क ब्रोकर नियुक्त किए हैं जो कुछ मामलों में सीबीएलआर 2018 के विनियमन 10 (ए) के उल्लंघन को दर्शाता है और अधिकांश मामलों में विनियमन 10 (एन) के उल्लंघन का कारण बनता है।

The said intermediaries /forwarders appoint some Customs Broker to file the customs documents of their clients which leads to violation of Regulation 10(a) of CBLR 2018 in some cases and also lead to violation of of Regulation 10(n) in most of the cases.

- केवल एक लाइसेंस प्राप्त सीमाशुल्क ब्रोकर ही एस ए सी 996712 के तहत जीएसटी द्वारा वर्गीकृत सेवाएँ प्रदान कर सकता है, लेकिन बिचौलियों / फ्रेट फारवर्डर्स के मामलों में एस ए सी 996712 का उपयोग करके आयातक / निर्यातक को बिलिंग कर रहा है, जो कि अवैध है।

Only a licensed Customs Broker can provide the services classified by GST under SAC 996712, but in the cases of intermediaries/freight forwarders are billing to the Importer/Exporter using the SAC 996712 which is illegal.

सुझाव : Suggestions:

- आयातकों / निर्यातकों द्वारा सीमाशुल्क ब्रोकर की सहभागिता के संदर्भ में एक सर्वमान्य सार्वजनिक सूचना जारी की जाए जिसमें निम्नलिखित का उल्लेख हो Issue a Landmark Public Notice regarding Engagement of Customs Broker by Importers/ Exporters-mentioning the following:

- यह सुनिश्चित करें कि हैंडलिंग एजेंट सीमाशुल्क स्टेशन पर एक मान्य सीमाशुल्क ब्रोकर लाइसेंस रखता है।

To ensure that the handling agent holds a valid Customs broker License at the Customs station.

- सीमाशुल्क ब्रोकर को एक प्राधिकरण पत्र जारी करना तथा उसकी एक प्रति के साथ सामान्य रूप से सीमाशुल्क उप / सहायक आयुक्त से मिलने हेतु प्रदान करें।

Issue an authorization letter to the Customs Broker with a copy to the Deputy/ Assistant Commissioner of customs for General appointment

- सी बी की संतुष्टि के लिए सी बी एल आर 2018 के विनियमन 10 (एन) के तहत आवश्यक के वाई सी के सभी दस्तावेजों को प्रदान करें।

Provide all the KYC documents as required under Regulation 10(n) of CBLR 2018 to the satisfaction of the CB

- आइसगेट में अपलोड किए गए दस्तावेजों के साथ सीमाशुल्क ब्रोकर को सौंपे गए प्रत्येक दस्तावेज को ईमेल / आवरण पत्र द्वारा व्यक्तिगत प्राधिकरण पत्र जारी करें।

Issue individual authorization letter by email/covering letter to each and every document handed over to the Customs broker which to be uploaded along with the documents uploaded in Icegate

- केवल अधिकृत सीमाशुल्क ब्रोकर से बिल स्वीकार करें और सीबी का भुगतान करने से पहले शिपिंग बिल / एंट्री बिल के आवरण पर सीमाशुल्क ब्रोकर के लाइसेंस नंबर को सत्यापित करें।

Accept bills from only authorized Customs broker and verify the Customs Brokers's Licence number on the body of the Shipping Bill/Bill of entry prior to making payment to CB

- सार्वजनिक नोटिस की मार्क कॉपी अपने सभी सदस्यों को प्रसारित करने के अनुरोध के साथ सभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स / एफ आई ई ओ / एफ आई सी सी आई / सी ई पी सी / एम पी ई डी ए/ स्पाइसेस बोर्ड आदि को चिह्नित करें।

Mark copy of the Public Notice to All chamber of Commerce/FIEO/FICCI/CEPC/MPEDA/SPICES BOARD etc. with a request to circulate to all their members.

- जी एस टी विभाग से अनुरोध है कि एस ए सी 996712 को लाइसेंस प्राप्त सीमाशुल्क ब्रोकर के साथ जोड़ा जाए और उन निर्यातकों / आयातकों के इनपुट टैक्स क्रेडिट को अस्वीकार कर दिया जाए, जो अनधिकृत मध्यस्थों से सीमाशुल्क ब्रोकर सेवाओं के कारण आई टी सी का दावा करते हैं।

Request GST department to link SAC 996712 with licensed Customs broker and disallow the Input Tax Credit to those Exporters/ importers who claims ITC on account of Customs Broker Services from unauthorized intermediaries.

चर्चा का कार्यवृत्त अधोलिखित है Minutes of discussion are as below

श्री एलन जोस, सी सी बी ए ने अध्यक्ष की अनुमति के साथ प्रस्तुत किया कि कुछ निर्यातक / आयातक अनाधिकृत व्यक्तियों को सीएचए का काम सौंप रहे हैं जो अनिवार्य सी बी लाइसेंस नहीं रखते हैं और सी

ए, 1962 की धारा 146 (1) और सी बी एल आर के विनियमन 10 के अनुसार वे ऐसा करने के लिए अधिकृत नहीं हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में सी एच ए का कार्य करने के लिए सी बी के अधिकृत सदस्यों की कुल संख्या 135 हैं, लेकिन जो व्यक्ति C के रूप में काम कर रहे हैं उनकी संख्या अधिक है। उन्होंने आगे कहा कि कुछ निर्यातक / आयातक कुछ अनधिकृत बिचौलियों को सीमाशुल्क निकासी का काम सौंप रहे हैं और सीमाशुल्क ब्रोकर सेवाओं के कारण इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठा रहे हैं, जो कि अवैध है। उन्होंने अध्यक्ष से इस संबंध में सार्वजनिक नोटिस जारी करने का अनुरोध किया।

Shri Alan Jose, CCBA with the permission of Chair, submitted that Some of the Exporters/Importers are entrusting CHA's work to unauthorized persons who are not holding the mandatory CB license and not authorized to do so as per as per section 146(1) of CA,1962 and regulation 10 of CBLR. He pointed that the total 135 numbers of CB are at present authorized to do the CHA's job but the number of person who are operating in form C is more. He added further that some of the Exporter/Importer are entrusting customs clearance work to some unauthorized intermediaries and availing input tax credit on account of Customs Broker Services, which is illegal. He requested the chair to issue a public notice in this regard.

श्री इब्राहीम फिलिप, आई सी सी आई ने बताया कि श्री टी के जयरामन, आयुक्त द्वारा इस सीमाशुल्क गृह में इस मुद्दे पर एक सार्वजनिक सूचना जारी की गई थी। उन्होंने यह भी प्रस्ताव दिया कि जी / एच कार्ड धारकों के लिए मासिक बैठक आयोजित की जानी चाहिए।

Shri Abraham Philip, ICCI, informed that a PN was issued by Shri T K Jayaraman, Commissioner, on the issue in this custom House. . He also proposed that the monthly meeting should be conducted for G/ H card holders.

अध्यक्ष ने सदस्यों को सूचित किया कि, निर्देश पहले से ही सार्वजनिक सूचना 18/2010 द्वारा लागू किए गए थे, तथापि मामले पर गौर किया जाएगा और सीमाशुल्क पक्ष से उपयुक्त संशोधन सार्वजनिक अधिसूचना संख्या 18/2010 में शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा, अध्यक्ष द्वारा यह सुझाव दिया गया था कि व्यापार द्वारा इस तरह के किसी भी दुरुपयोग का ध्यान रखा जाए और उस पर रिपोर्ट की जाए।

The chair informed the members that, instructions were already in place by PN 18/2010, however, the matter will be look into and the suitable modification from Customs side may be incorporated in the public notification no 18/2010. Also, it was suggested by the chair that the Trade should take care of any such abuse and the same may be reported upon.

अध्यक्ष ने हितधारकों को यह भी बताया कि फेसलेस मूल्यांकन के आगमन से कस्टम ब्रोकर्स को प्राधिकरण पत्र के लिए अनुरोध और केवाईसी / लाइसेंस नंबर आदि के सत्यापन के बाद बिल स्वीकार करना अप्रासंगिक हो सकता है।

The chair also informed the stakeholders that in the advent of faceless assessment the request for authorization letter to Custom Brokers and accepting of bill after verification of the KYC/License number etc. may become irrelevant.

उन निर्यातकों / आयातकों को सेवा कर इनपुट क्रेडिट के मुद्दे पर जो अनधिकृत मध्यस्थों से सीमाशुल्क ब्रोकर सेवाओं के कारण आईटीसी का दावा करते हैं, अध्यक्ष ने सदस्यों को सूचित किया कि मामला इस कार्यालय से संबंधित नहीं है। तथापि, इसे जी एस टी आयुक्तालय को सूचित किया जाए।

On the issue of service tax input credit to those Exporters/Importers who claims ITC on account of Customs Broker Services from unauthorized intermediaries, the chair informed the members that the matter is not related to this office. However, the same may be communicated to GST Commissionerate.

(कार्रवाई हेतु: आई एण्ड बी For action: I&B)

मुद्दा Point iii. सी एफ एस मरम्मत प्रभार से स्टैकर्स का सुधार STACKER REPAIR AT CFS-DETENTION CHARGES

हमारे सदस्यों में से एक ने बताया कि कॉनकॉर सी एफ एस में स्टैकर की मरम्मत के कारण, वे समय में आयात कंटेनरों की डिलीवरी नहीं ले सके। भले ही इसमें सी बी का दोष नहीं था, सी एफ एस ने सी एफ एस शुल्कों के अतिरिक्त बाद में डेमेरेज शुल्क भी एकत्र किया। इसके अलावा सीमाशुल्क ब्रोकर / आयातक को उनकी कोई गलती नहीं होने पर भी शिपिंग लाइन के लिए कंटेनरों के लिए निरोध शुल्क देना पड़ता है। इसके अलावा कई मामलों में कंटेनर को लोड करने के लिए स्टैकर की जगह की कमी या टूटने के कारण आयात कंटेनरों की जाँच में देरी होती है। सीमाशुल्क ब्रोकर / आयातकों को कंटेनर और ट्रेलर निरोध प्रभार का बोझ उठाना पड़ रहा है। हम आभारी होंगे यदि आप समस्या में सीबी की भूमिका नहीं है, तो सभी सी एफ एस को निर्देश दे ताकि इस तरह के दंड से बचा जा सके।

One of our members informed that due to the stacker repair at Concor CFS, they could not take delivery of the import containers in time. Even though it was not the fault of the CB, the CFS has collected demurrage charges over and above the CFS charges. Apart from this the Customs Broker/Importer has to pay detention charges for the Containers to the Shipping Line due to no fault of theirs. Also in many cases the examination of the Import containers are delayed due to lack of space or breakdown of the Stacker to load the container. The Customs Brokers/Importers are facing the burden of the container and trailer detention charges. We would be grateful if you could please instruct all the CFS that if the problem is not from the part of CB, such penalization should be avoided.

सुझाव: सी एफ एस को निर्देश दें कि स्टैकर्स की स्थिति में सुधार के लिए कदम उठाए जाएं और वेयर-हाउसों में भीड़ होने पर यार्ड में ही कंटेनरों की जाँच की अनुमति दी जाए।

Suggestion: Instruct the CFS to take steps to improve the condition of the stackers and also permit the examination of containers in the yard itself if the ware-houses are congested.

चर्चा के कार्यवृत्त अधोलिखित है Minutes of discussion are as below

सीमाशुल्क ब्रोकरों के प्रतिनिधियों से अनुरोध किया गया था कि वे समस्या की पहचान करने और मामले में सीमाशुल्क की भूमिका को प्रस्तुत करने के लिए मुद्दा प्रस्तुत करें।

The representatives of the Customs Brokers were requested to submit the gist of the issue to identify the problem and the role of Customs in the matter.

श्री एलन जोस, सी सी बी ए ने अध्यक्ष की अनुमति के साथ, प्रस्तुत किया कि हालांकि सी एफ एस में केवल एक स्टैकर है और व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है, स्टैकर के टूटने के कारण कुछ समय के लिए, व्यापार को समय पर आयात कंटेनर की डिलीवरी नहीं लेने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। सी एफ एस में जगह की कमी के कारण कंटेनरों की जाँच में देरी हो रही है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि उन्हें उनकी गलती न होने पर भी सी एफ एस को डेमेरेज शुल्क देना पड़ता है और शिपिंग लाइन के लिए निरोधी शुल्क देना पड़ता है।

Shri Alan Jose, CCBA with the permission of Chair, submitted that though CFS's has only one stacker and not enough space to facilitate the trade, some

times due to breakdown of stacker, trade are facing problem of not taking delivery of import container in time and also due to lack of space in CFS's , examination of containers are getting delayed. He represented that they had to pay demurrage charges to CFS and detention charges to shipping line even then they are not at fault.

श्री हरि वी.एस., सी एफ एस (कोंकर) ने, अध्यक्ष की अनुमति के साथ प्रस्तुत किया कि उनके पास वर्तमान में केवल एक ही स्टैकर है और उन्होंने पहले ही संबंधित अधिकारियों से अधिक स्टैकरो की स्थापना के लिए अनुरोध किया है। इस मुद्दे को समयबद्ध तरीके से सुलझाया जाएगा।

Shri Hari V.S., CFS (CONCOR), with the permission of chair submitted that they have only one stacker at present and they have already requested the concerned authorities to installation of more. The issue would be addressed in a time bound manner.

अध्यक्ष ने सुझाव दिया कि इस मामले में हितधारकों को सुविधा उपलब्ध नहीं होने पर उन्हें शुल्क कम करना चाहिए।

The chair suggested that stake holders in this matter that they should reduce charges if facility is not available.

(कार्रवाई - हेतु मुद्दा निरस्त For action-point dropped)

2. स्टीमर एजेंट असोसिएशन द्वारा उठाए गए मुद्दे निम्न हैं Points raised by The Steamer Agents Association are:

आगामी एस सी एम टी आर के संबंध में, कार्यान्वयन गाइड के संदेश के अनुसार, लाइन या एजेंटों को शिप स्टोर (पेज नंबर: 58, अनुभाग 3.5.8) कू विवरण (पेज नंबर 5, 3.5.7 और उप खंड) को मैनुअल रूप से दर्ज करना होगा। इन विवरणों के अंतरण में बहुत लंबा समय लगेगा क्योंकि जहाज भंडार की सूची आमतौर पर बहुत लंबी होती है और कुछ मामलों में 8 से 10 पृष्ठों में चलती है।

As regards upcoming SCMTR, as per the message implementation guide supplied, Line or agents have to enter ship stores (Page No:58, section 3.5.8) crew details (Page No.58, 3.5.7 and sub sections) manually. To key in these details it will take a very long time as the list of ship stores is usually very long and in some cases runs into 8 to 10 pages.

इसलिए हमारा सुझाव है कि सिस्टम को, लाइन या एजेंटों को इन दस्तावेजों की स्कैन कॉपी जो जहाज के मास्टर द्वारा हस्ताक्षरित हैं को अपलोड करने की अनुमति दी जानी चाहिए, जो विधिवत रूप से आइसगेट संचित में और आई आर एन संख्या और दिनांक का उल्लेख एस ए एम में करें। यदि इसे लागू किया जाता है, तो प्रक्रिया आसान हो जाएगी और उपयोगकर्ता के अनुकूल कई घंटे की जनशक्ति बचाएंगे और डेटा प्रविष्टि त्रुटियों से बचेंगे।

Therefore we suggest system should allow Line or agents to upload scan copy of these documents duly signed by Master of the vessel into Icegate SANCHIT and mention the IRN No and date in SAM. If implemented, the process will become easy and user friendly save many hours of man power and avoid data entry errors.

इसके अलावा हमने देखा है कि ई-सेंचुरी में कुछ अन्य दस्तावेजों को लोड करते समय प्रलेखन के आकार में एक सीमा होती है लगभग 100Kb के आसपास ही जिसे सिस्टम द्वारा स्वीकार किया जा सकता है। अब अगर हमें स्टोर लिस्ट (मास्टर द्वारा हस्ताक्षरित) की कॉपी अपलोड करनी है, जो शायद

कई पृष्ठों की है, तो यह 100 Kb के बीच नहीं होगा। इसलिए हम इस संबंध में भी मार्गदर्शन चाहते हैं।

Besides this we have noticed that while loading some other documents in e-SANCHIT there is a limitation in the size of the documentation which can be accepted by the system. Say around 100Kb only. Now if we have to upload copy of store list (signed by Master) which maybe many pages, it will not contain in 100 Kb. Therefore we seek guidance in this regard also.

चर्चा का कार्यवृत्त अधोलिखित है Minutes of discussion are as below

स्टीमर एजेंट्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि को समस्या और मामले में सीमाशुल्क की भूमिका की पहचान करने के लिए मुद्दों के सार को प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया।

The representative of The Steamer Agents Association were requested to submit the gist of the issue to identify the problem and the role of Customs in the matter.

श्री एम. कृष्णकुमार और श्री भरत अशर ने अध्यक्ष की अनुमति के साथ कहा कि, एस सी एम टी के आगमन के साथ उन्हें सी कार्गो मेनिफेस्ट, स्टोर लिस्ट और क्रू सूची के बारे में डेटा अपलोड करना होगा, इसके लिए उन्हें सिस्टम में डेटा को मैनुअल रूप से दर्ज करना होगा। यह भी उल्लेख किया गया था कि ई-संचित में केवल 100kb डेटा अपलोड करने की अनुमति है।

Shri M. Krishnakumar and Shri Bharat Ashar with the permission of chair submitted that, with the advent of SCMT they have to upload the data regarding Sea Cargo Manifest, Store List and Crew list for that they have to manually enter the data in the system. It was also mentioned that in E-sanchit only uploading of 100kb data is allowed.

अध्यक्ष ने हितधारकों को सूचित किया कि डेटा को डिजिटल रूप में प्राप्त किया जा सकता है और इसे सिस्टम में फीड किया जा सकता है। श्री भुवन चंद्रन, वैज्ञानिक एन आई सी, ने भी सभी हितधारकों को सूचित किया कि इसे अपलोड करना ई-संचित में संभव नहीं है क्योंकि यह आई जी एम चरण तक लागू नहीं है।

The Chair informed the stake holders that the data can be captured in digital form and the same can be fed in the system. Shri Bhuvan Chandran, Scientist NIC, also, informed all the stakeholders that uploading of the same is not feasible in E-sanchit as it is not applicable up to IGM stage

चूंकि चर्चा के लिए सदस्यों द्वारा और कोई मुद्दा नहीं उठाया गया अध्यक्ष ने सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक की समाप्ति की घोषणा की। स्थाई व्यापार सुविधा समिति की अगली बैठक की सूचना सीमाशुल्क गृह के वेबसाइट www.cochincustoms.nic.in द्वारा दी जाएगी। यदि चर्चा के लिए कोई मुद्दा हो तो उन्हें भेजा जा सकता है। पूछताछ, यदि कोई हो तो उसे दूरभाष संख्या 0484-2667040 पर या ccu@cochincustoms.gov.in या ccucochin@gmail.com इस ई-मेल पते पर की जा सकती है।

Since no other points were raised by the members for discussion, the Chair declared the meeting closed by thanking the members. The date for next meeting of the Permanent Trade Facilitation Committee will be intimated through the Custom House website www.cochincustoms.nic.in. Points for discussion, if any, may be sent. Enquiries if any may be made at the telephone number 0484-2667040 or by email at ccu@cochincustoms.gov.in or ccucochin@gmail.com.

(एस. श्रीमती, S. SRIMATHI)
संयुक्त आयुक्त JT. COMMISSIONER

//Attested//

(BAIJU DANIEL) 31/12/19
APPRAISING OFFICER

F.No.S.65/17/2018-CCU-CUS
दिनांक Dated:10 /12/2019

को प्रस्तुत Submitted to:

1. The Principal Chief Commissioner of Central Excise, Central Tax & Customs, Kerala Zone, Cochin.
2. The Additional Director General, Directorate of Tax Payer Service, Bangalore Zonal Unit, 4th Floor TTMC Building , Above BMTC Bus Stand, Domlur, Bangalore-560071.

प्रतिलिपि: सभी संयुक्त आयुक्त/सभी उप आयुक्त/सहायक आयुक्त/ पी टी एफ सी के सभी सदस्य

Copy to: Joint Commissioners/ All D.Cs & A.Cs/ All members of PTFC

ई डी आई अनुभाग (सीमाशुल्क की वेबसाइट में अपलोड करने हेतु) EDI (for uploading on customs website)

O/C

